बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष सं0-0612-2215041, email – Scdisability2008@gmail.com, Website : scdisabilities.org

पत्रांक-...190/आ0नि0श0 दिनांक-..15...फरवरी 2021

परिवाद सं0:-35/2021

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

(1) जिला पदाधिकारी, नालंदा (बिहार शरीफ)।
(2) पुलिस अधीक्षक, नालंदा (बिहार शरीफ)।
(3) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा (बिहार शरीफ)।
(4) थाना प्रभारी, सिलाव, थाना-सिलाव, जिला-नालंदा।
(5) अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर, जिला-नालंदा।
(6) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, नालंदा (बिहार शरीफ)।
(7) प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिलाव, जिला-नालंदा।
(8) जिला बाल संरक्षण इकाई, नालंदा (बिहार शरीफ)।

विषय:- **दिनांक-13.02.2021 को नालंदा जिला के सिलाव थाना क्षेत्र के बाजीदपुर बरनौसा गॉव की नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ संध्या शौच जाने पर बदमाश व्यक्तियों द्वारा जबरन दुष्कर्म किए जाने की घटना के दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार एवं इस संबंध में ह्रदय यादव पी0डब्लू0डी0 जिलाध्यक्ष, नालंदा-सह-समाधान सचिव द्वारा न्यायालय को समर्पित परिवाद पत्र से संबंधित जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने एवं बिहार राज्य प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दैनिक भास्कर समाचार-पत्र में दिनांक-13.02.2021 को नालंदा जिला के सिलाव थाना क्षेत्र के बाजीदपुर बरनौसा गॉव की नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने का समाचार प्रकाशित किया गया है। इस संबंध में ह्रदय यादव पी0डब्लू0डी0 जिलाध्यक्ष, नालंदा-सह-समाधान सचिव द्वारा की घटना एवं पीड़िता की स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रतिवाद पत्र समर्पित किया गया है। घटना के संबंध में उल्लेख किया गया है कि पीड़िता दिव्यांग (मूक बधिर नाबालिग लड़की) घटना के दिन संध्या शौच के लिए बाहर गयी थी। इस दौरान बदमाश व्यक्तियों द्वारा उसे सरसों के खेत में ले जा कर जबरन दुष्कर्म किया गया। घटना की गंभीरता के आलोक में घटना की जॉच पीड़िता को पुनर्वास व चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना, प्रतिकर भुगतान किया जाना एवं संलिप्त आपराधिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायसम्मत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

कृ0पृ0उ0.............

Scanned by CarbonScanner

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 एवं 82 के अंतर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षायों से संबंधित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

अत: निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में प्रतिवेदन यथाशीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पीड़िता को सुरक्षा एवं बिहार राज्य प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान करना भी सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक-यथोक्त।

15.02.2021

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वाद सं0-35/2021...190/आ0नि0श0 दिनांक 25 फरवरी'2021

प्रतिलिपि:- हृदय यादव, पी0डब्लू0डी0 जिलाध्यक्ष, नालंदा-सह-समाधान सचिव को समर्पित परिवाद पत्र सूचनार्थ प्रेषित।

15.02.2021

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned by CarbonScanner

1613207222598.jpg

SAMADHAN समाधान

(A Special School for Children with Special Needs)
Mangla Sthan, Bihar Sharif, Nalanda (Bihar)-803101
Mob.7903264308 / 9631417877, E-mail: samadhan.nalanda@gmail.com

President
S.K. Sinha
(9473016124)

Secretary
Hirday Yadav
(7903264308)

Treasurer
Kundan Kumar
Panday
(9631417877)

सम्पर्क सूत्र:
9386208309
8936077030

Ref. No. Samadhan/BH/Nal/ Date: 13-02-2021

बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

सेवा में :
श्रीमान् राज्य आयुक्त नि:शक्तता
पटना (बिहार)

विषय:- दलित दिव्यांग नाबालिक (मुक-बधिर) लड़की के साथ सामुहिक दुष्कर्म के जाँच के सम्बंध में।

महाशय,
निवेदन पूर्वक कहना है कि क्रान्ति कुमारी पिता- स्व० प्रभु मांझी ग्राम- बाजीदपुर बरनौसा, थाना- सिलाव, प्रखण्ड- राजगीर जिला- नालन्दा का स्थायी निवासी है। दिनांक- 12-02-2021 को समय 3:00 बजे शौच के लिए खेत के तरफ गई थी। जहाँ कुछ मनचलों ने उनके साथ जबरदस्ती, खींच-घसिट कर बगल के सरसों के खेत में ले जा कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया।

अत: श्रीमान से नम्र निवेदन है कि पीड़िता का उचित जाँच कर उचित कार्यवाई कर न्याय दिलाने कि कृपा की जाए।

आपका विश्वासी
हृदय यादव
P. wd [illegible]
नालन्दा रोड
समाधान [illegible]

सचिव
समाधान
मंगला स्थान, बिहार शरीफ (नालन्दा)
13/02/2021

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

Scanned by CarbonScanner

Gmail O/o State Commissioner Disabilities Govt. of Bihar <scdisability2008@gmail.com>

Print
1 message

Dr Shivajee Kumar <shivajee100@gmail.com>
To: scdisability2008@gmail.com

Sun, Feb 14, 2021 at 1:04 PM

मूक बच्चों से गैंगरेप, एक बदमाश को पेड़ में बांध पिटाई, दूसरा भाग निकला

सिटी रिपोर्टर। राजगीर/सिलाव

सिलाव थाना क्षेत्र के एक गांव में साल साल की मूक बच्ची के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला शुक्रवार को सामने आया। बच्ची शौच के लिए गई थी। उसी दौरान बदमाशों ने उससे जबरन कुकृत्य किया। घटना की भनक लगने पर परिजन व ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़, पेड़ में बांध उसकी पिटाई की। इसके बाद बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला। पकड़ा गया बदमाश बरनौसा गांव निवासी रामगुलाम सिंह का पुत्र संतोष सिंह है। परिजन के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पीड़िता की भाभी ने बताया कि बच्ची शाम तीन बजे शौच के लिए गई। उसी दौरान दो बदमाश उसे जबरन उठाकर सरसो के खेत में ले गए और उससे कुकृत्य किया। बच्ची मूक है। देर तक नहीं लौटने पर परिजन उसे देखने जा रहे थे। उसी दौरान खेत से दो युवक भागते दिखे। बच्ची ने इशारों से घटना के संबंध में बताया। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से एक बदमाश को पकड़, पुलिस के हवाले कर दिय गया। राजगीर डीएसपी सोमनाथ प्रसाद ने बताया कि एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ के आधार पर फरार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की ज रही है। थानाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि परिजन के बयान प केस दर्ज किया गया है।

15/2